



भारतीय न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु प्रस्तावित कदमों का विश्लेषण: पारदर्शिता, दक्षता और जनसुलभता के दृष्टिकोण से एक अध्ययन

Chhama¹, Dr. Vikas Deep Singh Kohli²

¹Research Scholar, Department of Law, NIILM University, Haryana

Email: chhamanoon1981@gmail.com

²Professor, Department of Law, NIILM University, Haryana

Email: vikasdeep@niilmuniversity.com

Received: 08 June 2026 | Accepted: 19 June 2026 | Published: 30 June 2026

Abstract (सारांश)

भारतीय न्यायिक प्रणाली की वास्तविक परीक्षा इस बात से होती है कि वह अपने सबसे असुरक्षित पक्षकार अपराध पीड़ित को कितनी पारदर्शिता, दक्षता और सुलभता से न्याय दे पाती है। प्रस्तुत अध्ययन एसिड हमला पीड़ितों के न्याय-अनुभव को प्रकरण-अध्ययन के रूप में लेकर न्यायिक सुधार हेतु प्रस्तावित कदमों 2013 के विधायी संशोधन, उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश, मुआवज़ा-ढाँचा एवं बिक्री-विनियमन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, जिसमें अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश रखा गया है। शोध प्रारूप वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक है, जो सिद्धांतशास्त्रीय विधि और द्वितीयक सांख्यिकीय आँकड़ों के संयोजन पर आधारित है। परिकल्पना परीक्षण हेतु कार्ड-वर्ग सुसंगति परीक्षण प्रयुक्त हुआ। परिणाम दर्शाते हैं कि सुदृढ़ विधायी ढाँचे के बावजूद 2020-2022 के दौरान एसिड हमलों की घटनाओं में कोई सांख्यिकीय रूप से सार्थक गिरावट नहीं आई ($p > 0.05$), जबकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का अंश जनसंख्या-अनुपातिक अपेक्षा से सार्थक रूप से कम पाया गया ($p < 0.001$), जो पंजीकरण-बाधाओं का संकेतक है। निष्कर्षतः विधि-निर्माण की तुलना में क्रियान्वयन, अनुपालन-पारदर्शिता और पीड़ित-सुलभता सुधार-एजेंडे की सबसे दुर्बल कड़ियाँ हैं।

मुख्य शब्द: न्यायिक सुधार, एसिड अटैक, पीड़ित न्याय, जनसुलभता, दोषसिद्धि दर

1. प्रस्तावना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 21 में गरिमामय जीवन और अनुच्छेद 39-क में निःशुल्क विधिक सहायता की गारंटी देकर न्याय को नागरिक-जीवन का आधारभूत अधिकार बनाता है (भारत का संविधान, 1950)। किंतु किसी भी न्याय-प्रणाली का वास्तविक मूल्यांकन उसके संवैधानिक वचनों से नहीं, बल्कि इस बात से होता है कि वे वचन सबसे दुर्बल पीड़ित तक किस गति, किस पारदर्शिता और किस सुलभता से पहुँचते हैं। न्यायिक सुधार के समकालीन विमर्श में यही तीन कसौटियाँ केंद्रीय हैं, पारदर्शिता, अर्थात् न्यायिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया के आँकड़ों की सार्वजनिक उपलब्धता; दक्षता, अर्थात् विचारण की गति, दोषसिद्धि की दर और निवारण-प्रभाव; तथा जनसुलभता, अर्थात् पीड़ित की न्यायालय, मुआवज़े और पुनर्वास तक व्यावहारिक पहुँच। भारतीय समाज और न्यायपालिका के अंतर्संबंध पर उपलब्ध विवेचन यह रेखांकित करता है कि जनता का न्याय-व्यवस्था पर विश्वास संस्थागत घोषणाओं से नहीं, बल्कि उसके प्रत्यक्ष अनुभवों से निर्मित होता है (सिंह, 2018)।

इस त्रिआयामी कसौटी की परीक्षा के लिए एसिड हिंसा से उपयुक्त प्रकरण-अध्ययन शायद ही कोई हो, क्योंकि इस एक अपराध में सुधार के तीनों मार्ग विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक, एक साथ सक्रिय हुए हैं। विधायी स्तर पर दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में धारा 326-क तथा 326-ख जोड़ी गई, जिन्होंने एसिड से घोर उपहति कारित करने और उसके प्रयास को स्वतंत्र, कठोर दंडनीय अपराध बनाया (भारतीय दंड संहिता, 1860)। न्यायिक स्तर पर एक एसिड हमला पीड़िता की जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने एसिड की खुली बिक्री के विनियमन, न्यूनतम मुआवज़े और उपचार-दायित्व संबंधी ऐतिहासिक निर्देश जारी किए, यह प्रकरण इस बात का प्रमाण है कि

जनहित याचिका जैसे उपकरण के माध्यम से एक साधारण पीड़ित भी सर्वोच्च न्यायिक मंच तक पहुँचकर राष्ट्रीय नीति बदल सकता है (लक्ष्मी बनाम यूनिनयन ऑफ इंडिया, 2013)। प्रशासनिक स्तर पर पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं और नियंत्रित बिक्री-व्यवस्था का ढाँचा राज्यों को सौंपा गया। अर्थात् सुधार हेतु "प्रस्तावित कदम" यहाँ केवल कागज़ पर नहीं हैं; वे एक दशक से अधिक समय से क्रियान्वयन में हैं, और उनके परिणामों का आँकड़ा-आधारित लेखा-जोखा अब संभव है।

यह लेखा-जोखा असहज प्रश्न खड़े करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2022 में देश में महिलाओं के विरुद्ध 4,45,256 अपराध पंजीकृत हुए, पूर्व वर्ष से लगभग 4 प्रतिशत अधिक जिनकी दर 66.4 प्रति लाख महिला जनसंख्या रही, और एसिड हमले के 202 मामले दर्ज हुए (एनसीआरबी, 2022)। इतने सुदृढ़ विधायी-न्यायिक ढाँचे के बाद भी घटनाओं की यह निरंतरता संकेत देती है कि विधि-निर्माण और विधि-प्रभाव के बीच की खाई ही वास्तविक शोध-समस्या है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन तीन कारणों से किया गया है। प्रथम, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के पंजीकरण में यह राज्य देश में शीर्ष पर है, अतः पीड़ित-न्याय की चुनौती यहाँ सर्वाधिक परिमाण में विद्यमान है (एनसीआरबी, 2022)। द्वितीय, एसिड हमलों में यह पश्चिम बंगाल के साथ लगातार अग्रणी राज्यों में गिना जाता है, जिससे लक्ष्मी-दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की परीक्षा के लिए यह स्वाभाविक भूगोल बनता है। तृतीय, विशाल जनसंख्या और सामाजिक विविधता के कारण पंजीकरण-व्यवहार, कलंक और पहुँच-बाधाओं का अध्ययन यहाँ राष्ट्रीय निष्कर्षों के लिए प्रतिनिधिक आधार देता है। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी पृष्ठभूमि में एनसीआरबी के आधिकारिक आँकड़ों, संवैधानिक-वैधानिक प्रावधानों और उपलब्ध शोध-साहित्य के आधार पर यह परखता है कि पारदर्शिता, दक्षता और जनसुलभता की कसौटियों पर प्रस्तावित सुधार-कदम कहाँ सफल हुए हैं और कहाँ अधूरे हैं। अध्ययन का व्यावहारिक महत्व यह है कि यह पीड़ित-केंद्रित दृष्टि से सुधार-प्राथमिकताओं का साक्ष्य-आधारित पुनर्निर्धारण संभव बनाता है, जो नीति-निर्माताओं, विधिक सेवा संस्थाओं और नागरिक समाज तीनों के लिए उपयोगी है।

2. साहित्य समीक्षा

एसिड हिंसा और पीड़ित न्याय पर उपलब्ध शोध-साहित्य को तीन धाराओं में व्यवस्थित किया जा सकता है, विधिक ढाँचे का विवेचन, पीड़ित-अनुभव एवं सामाजिक संदर्भ, तथा संस्थागत प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। प्रथम धारा में दीप का अध्ययन आधारभूत माना जा सकता है, जिसमें 2013 के दंड विधि संशोधन से पूर्व और पश्चात् की विधिक स्थिति का तुलनात्मक अवलोकन करते हुए दर्शाया गया कि स्वतंत्र दंड-प्रावधानों के अभाव में एसिड हमलों का अभियोजन सामान्य उपहति-धाराओं के अधीन होता था, जो अपराध की गंभीरता के अनुपात में अपर्याप्त था (दीप, 2017)। इसी धारा में चक्रवर्ती एवं डे ने भारत में एसिड हिंसा का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया कि कठोर दंड-प्रावधान अपने-आप में निवारण की गारंटी नहीं हैं, जब तक विक्रय-नियंत्रण और त्वरित विचारण उनके साथ न जुड़ें (चक्रवर्ती एवं डे, 2019)। दूसरी धारा पीड़ित के जीवन-अनुभव पर केंद्रित है। गोस्वामी एवं हांडा ने एसिड हमलों के खतरे और महिलाओं की विशिष्ट संवेदनशीलता का परीक्षण करते हुए पाया कि यह अपराध प्रायः अस्वीकृति के प्रतिशोध की मानसिकता से जुड़ा है और पीड़िता के शरीर के साथ-साथ उसकी सामाजिक-आर्थिक संभावनाओं को भी नष्ट करता है (गोस्वामी एवं हांडा, 2020)। त्रिपाठी एवं विंजामुरी ने महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपराध के रूप में एसिड हमले का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए इसे अनुच्छेद 21 के गरिमा-अधिकार के सीधे हनन के रूप में स्थापित किया (त्रिपाठी एवं विंजामुरी, 2022)। साहू ने लैंगिक हिंसा के व्यापक फलक पर एसिड हमलों को रखते हुए यह रेखांकित किया कि सामाजिक कलंक और पारिवारिक दबाव पंजीकरण-व्यवहार को दबाते हैं, जिससे आधिकारिक आँकड़े वास्तविक पीड़ा का केवल अंश ही दर्शाते हैं (साहू, 2017), यह अवलोकन प्रस्तुत अध्ययन की दूसरी परिकल्पना का सैद्धांतिक आधार है।

तीसरी धारा संस्थागत प्रतिक्रिया के मूल्यांकन की है। सलमानी, मिश्रा एवं सिंह ने "पीड़ित से उत्तरजीवी तक" की यात्रा में हितधारकों पुलिस, चिकित्सा तंत्र, न्यायपालिका, विधिक सेवा प्राधिकरण और नागरिक संगठनों की भूमिका का परीक्षण करते हुए पाया कि पुनर्वास की सफलता किसी एक संस्था पर नहीं, बल्कि अंतर-संस्थागत समन्वय पर निर्भर करती है (सलमानी, मिश्रा एवं सिंह, 2023)। नागपाल एवं रावंडेल ने भारतीय विधि के अंतर्गत अपराध पीड़ितों की स्थिति का ऐतिहासिक अनुरेखण करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय कोड से तुलनात्मक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की और निष्कर्ष दिया कि भारतीय व्यवस्था में पीड़ित-अधिकार अब भी अभियुक्त-केंद्रित प्रक्रिया के हाशिये पर हैं (नागपाल एवं रावंडेल, 2023)। वर्मा ने अपराधियों के विरुद्ध पहल के रूप में न्याय-योजनाओं का परीक्षण करते हुए क्रियान्वयन-तंत्र की दुर्बलता को मुख्य बाधा बताया (वर्मा, 2019), जबकि सिंह ने समाज और न्यायपालिका के संबंधों के व्यापक फलक पर यह स्थापित किया कि न्यायिक सुधार की सफलता अंततः सामाजिक विश्वास के पुनर्निर्माण से मापी जाती है (सिंह, 2018)। समग्रतः उपलब्ध साहित्य विधिक ढाँचे और पीड़ित-अनुभव पर समृद्ध है, किंतु उसमें दो रिक्तियाँ स्पष्ट हैं। प्रथम, अधिकांश अध्ययन गुणात्मक-विवेचनात्मक हैं; लक्ष्मी-पश्चात् दशक के आधिकारिक आँकड़ों

पर परिकल्पना-परीक्षण आधारित सांख्यिकीय मूल्यांकन दुर्लभ है। द्वितीय, उत्तर प्रदेश जैसे सर्वाधिक भारग्रस्त राज्य को केंद्र में रखकर पारदर्शिता, दक्षता और जनसुलभता तीनों कसौटियों का समेकित परीक्षण उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं रिक्तियों को संबोधित करता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. पारदर्शिता एवं दक्षता की दृष्टि से एसिड हिंसा तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर भारतीय न्यायिक प्रणाली की प्रतिक्रिया (विधायी ढाँचा, प्रवृत्ति एवं दोषसिद्धि) का विश्लेषण करना — उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में।
2. जनसुलभता की दृष्टि से लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से उद्धूत सुधार-कदमों (बिक्री-विनियमन, मुआवज़ा एवं पीड़ित-सहायता ढाँचा) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

4. शोध प्रणाली

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप अपनाया गया है, जिसमें सिद्धांतशास्त्रीय (डॉक्ट्रिनल) विधि और द्वितीयक आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण, दोनों का संयोजन है। अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश निर्धारित किया गया है, क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के पंजीकरण में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है तथा एसिड हिंसा में निरंतर अग्रणी राज्यों में सम्मिलित रहा है; तुलनात्मक संदर्भ हेतु अखिल भारतीय आँकड़े साथ रखे गए हैं। प्रतिदर्श चयन उद्देश्यपूर्ण (परपज़िव) पद्धति से हुआ, जिसके अंतर्गत तीन प्रकार की सामग्री सम्मिलित है, प्रथम, वैधानिक-संवैधानिक प्रावधान (संविधान के सुसंगत अनुच्छेद, भारतीय दंड संहिता की धारा 326-क/326-ख एवं संबद्ध प्रक्रियात्मक प्रावधान); द्वितीय, न्यायिक सामग्री (लक्ष्मी प्रकरण के दिशानिर्देश); तृतीय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के आधिकारिक आँकड़े। आँकड़ा-संकलन का उपकरण अभिलेखीय विश्लेषण (डॉक्यूमेंट एनालिसिस) रहा, जिसमें केवल आधिकारिक अथवा प्रकाशित, सत्यापन-योग्य सामग्री सम्मिलित की गई। विश्लेषण की तकनीकों में प्रतिशत, वृद्धि-दर एवं अनुपात जैसी वर्णनात्मक सांख्यिकी तथा परिकल्पना-परीक्षण हेतु कार्द-वर्ग सुसंगति परीक्षण (गुडनेस ऑफ फिट) प्रयुक्त हुए; सार्थकता स्तर 0.05 निर्धारित किया गया। अध्ययन की सीमाएँ स्पष्ट हैं, यह पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, स्रोत-सामग्री में नवीनतम अपराध-आँकड़े वर्ष 2022 तक के हैं, तथा पंजीकृत आँकड़े न्यून-पंजीकरण की संभावना से मुक्त नहीं हैं; अतः निष्कर्षों की व्याख्या इन सीमाओं के भीतर, प्रभाव-दिशा और परिमाण को केंद्र में रखकर की गई है।

5. परिणाम

तालिका 1: एसिड हमले (धारा 326-क) की पंजीकृत घटनाएँ — भारत (2020–2022)

वर्ष	पंजीकृत मामले	वार्षिक परिवर्तन
2020	182	—
2021	176	-3.3%
2022	202	+14.8%
तीन-वर्षीय औसत	186.7	—

स्रोत: एनसीआरबी (2022)

तालिका 1 दर्शाती है कि 2020–2022 की अवधि में एसिड हमलों की पंजीकृत घटनाएँ 176 से 202 के संकीर्ण दायरे में रहीं, जिनका तीन-वर्षीय औसत 186.7 है (एनसीआरबी, 2022)। 2021 में 3.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट के बाद 2022 में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अर्थात् प्रवृत्ति-रेखा अवरोही नहीं है। विधायी संशोधन और न्यायिक दिशानिर्देशों के लगभग एक दशक बाद भी घटनाओं का यह स्थिर स्तर निवारण-प्रभाव की दुर्बलता का प्रथम संकेतक है, जिसका औपचारिक परीक्षण तालिका 6 में H_0 के अंतर्गत किया गया है।

तालिका 2: महिलाओं के विरुद्ध अपराध — राष्ट्रीय परिदृश्य (2022)

संकेतक	मान
कुल पंजीकृत अपराध	4,45,256
पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि	लगभग 4%
अपराध दर (प्रति लाख महिला जनसंख्या)	66.4
औसत पंजीकरण (प्रति घंटा, परिकलित)	लगभग 51 शिकायतें
एसिड हमले के मामले	202

स्रोत: एनसीआरबी (2022)

तालिका 2 के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध 4,45,256 अपराध पंजीकृत हुए, प्रति लाख महिला जनसंख्या पर 66.4 की दर और औसतन लगभग 51 शिकायतें प्रति घंटा (एनसीआरबी, 2022)। पूर्व वर्ष से लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि दोहरे अर्थ रखती है: यह अपराध-वृद्धि भी हो सकती है और पंजीकरण-सुलभता में सुधार भी। एसिड हमले (202) इस समग्र का मात्र 0.045 प्रतिशत हैं, किंतु क्षति की तीव्रता, स्थायी विरूपण और पुनर्वास-लागत की दृष्टि से यह अपराध अपने अनुपात से कहीं अधिक नीतिगत महत्व रखता है।

तालिका 3: एसिड हिंसा संबंधी विधायी ढाँचा (2013 संशोधन के उपरांत)

प्रावधान	विषय	दंड/व्यवस्था
धारा 326-क, भा.दं.सं.	एसिड द्वारा घोर उपहति	न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास; पीड़ित के चिकित्सा व्यय हेतु युक्तियुक्त अर्थदंड
धारा 326-ख, भा.दं.सं.	एसिड फेंकने का प्रयास	5 से 7 वर्ष कारावास एवं अर्थदंड
धारा 357-क, दं.प्र.सं.	पीड़ित मुआवज़ा योजना	राज्य-स्तरीय मुआवज़ा ढाँचे का वैधानिक आधार
धारा 114-ख, साक्ष्य अधिनियम	उपधारणा	परिणाम-ज्ञान संबंधी उपधारणा से अभियोजन का भार सुगम

स्रोत: भारतीय दंड संहिता (1860, यथासंशोधित); दीप (2017)

तालिका 3 विधायी सुधार की गुणात्मक गहराई दर्शाती है, दंड-प्रावधान (न्यूनतम 10 वर्ष), प्रक्रियात्मक ढाँचा (मुआवज़ा योजना) और साक्ष्यिक सुगमता (उपधारणा) तीनों स्तरों पर एक साथ हस्तक्षेप हुआ (भारतीय दंड संहिता, 1860)। तुलनात्मक दृष्टि से 2013-पूर्व स्थिति में स्वतंत्र प्रावधानों का अभाव अभियोजन को दुर्बल करता था (दीप, 2017)। किंतु तालिका 1 के स्थिर घटना-स्तर के साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि विधायी कठोरता का सांख्यिकीय निवारण-प्रभाव अभी परिलक्षित नहीं हुआ है, दंड की गंभीरता से अधिक दंड की निश्चितता निर्णायक चर प्रतीत होती है।

तालिका 4: लक्ष्मी बनाम यूनिन ऑफ इंडिया — प्रमुख न्यायिक निर्देश एवं जनसुलभता आयाम

निर्देश	विवरण	जनसुलभता आयाम
एसिड बिक्री विनियमन	केवल अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता; क्रेता की फोटो-पहचान; 18 वर्ष से कम आयु को विक्रय निषेध; स्टॉक की घोषणा	निवारक सुलभता — अपराध के साधन पर नियंत्रण
न्यूनतम मुआवज़ा	पीड़ित को न्यूनतम ₹3 लाख मुआवज़ा	आर्थिक पुनर्वास की न्यूनतम गारंटी
उपचार-दायित्व	सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में उपचार से इनकार नहीं	चिकित्सा-न्याय तक तात्कालिक पहुँच

स्रोत: लक्ष्मी बनाम यूनिन ऑफ इंडिया (2013); नागपाल एवं रावंडेल (2023)

तालिका 4 दर्शाती है कि लक्ष्मी प्रकरण ने पीड़ित-न्याय को तीन मापनीय स्तंभ दिए, नियंत्रित बिक्री, ₹3 लाख की न्यूनतम मुआवज़ा-सीमा और उपचार-दायित्व (लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2013)। जनसुलभता की दृष्टि से यह प्रकरण स्वयं में प्रमाण है कि जनहित याचिका के माध्यम से एक पीड़िता राष्ट्रीय नीति-परिवर्तन तक पहुँच सकी। तथापि पीड़ित-अधिकारों के तुलनात्मक अध्ययन दर्शाते हैं कि मुआवज़े की यह न्यूनतम राशि दीर्घकालिक शल्य-चिकित्सा और आजीविका-हानि की वास्तविक लागत के अनुपात में सीमित है (नागपाल एवं रावंडेल, 2023), अतः राशि-पुनरीक्षण नीतिगत आवश्यकता है।

तालिका 5: उत्तर प्रदेश बनाम भारत — चयनित संकेतक (2022)

संकेतक	उत्तर प्रदेश	भारत
महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराध	65,743 (देश में सर्वाधिक)	4,45,256
राष्ट्रीय योग में अंश (परिकलित)	14.77%	100%
एसिड हमलों में स्थिति	अग्रणी राज्यों में (पश्चिम बंगाल — 48 मामलों के साथ शीर्ष — के पश्चात्)	202 मामले
दोषसिद्धि दर (बलात्कार, राष्ट्रीय स्तर)	—	27.8%

स्रोत: एनसीआरबी (2022)

तालिका 5 दो विरोधाभासी तथ्य एक साथ रखती है। निरपेक्ष संख्या में उत्तर प्रदेश 65,743 पंजीकृत अपराधों के साथ देश में प्रथम है, किंतु राष्ट्रीय योग में उसका अंश (14.77 प्रतिशत) उसकी महिला-जनसंख्या के अनुमानित अंश (लगभग 17 प्रतिशत) से कम है (एनसीआरबी, 2022), इस अंतराल का परीक्षण तालिका 6 में H_02 के अंतर्गत है। दक्षता-पक्ष पर बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में 27.8 प्रतिशत की राष्ट्रीय दोषसिद्धि दर यह दर्शाती है कि लगभग तीन-चौथाई विचारण दोषमुक्ति में परिणत होते हैं, जो निवारण-प्रभाव को संरचनात्मक रूप से क्षीण करता है।

6. विवेचन

प्रथम उद्देश्य, पारदर्शिता एवं दक्षता की दृष्टि से न्यायिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण के संदर्भ में परिणाम एक स्पष्ट विषमता उजागर करते हैं: विधि-निर्माण में भारत ने जो गति दिखाई, विधि-प्रभाव में वह अनुपस्थित है। तालिका 3 का ढाँचा अंतरराष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से भी सुदृढ़ है कठोर न्यूनतम दंड, मुआवज़े का वैधानिक आधार और साक्ष्यिक उपधारणा किंतु तालिका 1 और तालिका 6 (H_{01}) मिलकर सिद्ध करते हैं कि इस ढाँचे के लगभग एक दशक बाद भी घटनाओं का स्तर सांख्यिकीय रूप से अपरिवर्तित है। यह निष्कर्ष उस आलोचनात्मक स्थापना की अनुभवजन्य पुष्टि है कि दंड की कठोरता विक्रय-नियंत्रण और त्वरित विचारण के बिना निवारण नहीं बन पाती (चक्रवर्ती एवं डे, 2019)। दक्षता की दूसरी कड़ी दोषसिद्धि और भी चिंताजनक है: तालिका 5 की 27.8 प्रतिशत दोषसिद्धि दर का व्यावहारिक अर्थ यह है कि अपराधी के लिए दंड की सांख्यिकीय प्रत्याशा न्यून बनी हुई है, और पीड़िता के लिए वर्षों लंबा विचारण प्रायः दोषमुक्ति की पीड़ा में समाप्त होता है। एसिड जैसे अपराध में, जहाँ अपराधी प्रायः परिचित होता है और अस्वीकृति का प्रतिशोध अभिप्रेरणा होती है (गोस्वामी एवं हांडा, 2020), दंड की यह अनिश्चितता प्रतिशोध-मानसिकता को संरचनात्मक अभय देती है। पारदर्शिता के मोर्चे पर स्थिति दोहरी है, अपराध-पंजीकरण के आँकड़े एनसीआरबी के माध्यम से सार्वजनिक और तुलनीय हैं, यही इस अध्ययन का आधार भी है, किंतु सुधार-कदमों के क्रियान्वयन के आँकड़े कितने विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी हैं, कितने पीड़ितों को कितना मुआवज़ा कितने समय में मिला व्यवस्थित सार्वजनिक प्रकटन से बाहर हैं। अर्थात् समस्या पारदर्शी है, समाधान अपारदर्शी; यही विषमता जवाबदेही को असंभव बनाती है।

द्वितीय उद्देश्य, जनसुलभता की दृष्टि से लक्ष्मी-ढाँचे का मूल्यांकन के संदर्भ में निष्कर्ष मिश्रित हैं। एक ओर लक्ष्मी प्रकरण भारतीय न्यायिक प्रणाली की सुलभता का असाधारण प्रमाण है, जनहित याचिका के द्वार से एक पीड़िता ने वह नीति-परिवर्तन अर्जित किया जो दशकों की विधायी निष्क्रियता नहीं कर पाई थी (लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2013)। दूसरी ओर तालिका 6 (H_{02}) का परिणाम सुलभता के दूसरे, अधिक बुनियादी स्तर पर प्रश्न खड़ा करता है: उत्तर प्रदेश का पंजीकरण-अंश उसकी जनसंख्या-अपेक्षा से सार्थक रूप से कम है। इस अंतराल की एक संभावित और साहित्य-समर्थित व्याख्या यह है कि कलंक, पारिवारिक दबाव और संस्थागत अविश्वास प्रथम सूचना के स्तर पर ही न्याय-यात्रा को रोक देते हैं (साहू, 2017; दीप, 2017); ऐसी स्थिति में न्यायालय की दक्षता का प्रश्न उन पीड़ितों तक पहुँचता ही नहीं जो व्यवस्था की दहलीज़ पार नहीं कर पाए। यह निष्कर्ष सतर्क व्याख्या माँगता है, पंजीकरण-अंश अपराध-घटना का पूर्ण मापक नहीं है, किंतु नीतिगत दिशा स्पष्ट है:

सुलभता-सुधार का केंद्र न्यायालय से पहले थाना, चिकित्सालय और मुआवज़ा-कार्यालय होना चाहिए। पीड़ित से उत्तरजीवी तक की यात्रा का हितधारक-विश्लेषण यही दर्शाता है कि पुनर्वास बहु-संस्थागत समन्वय का प्रतिफल है, एकल न्यायिक आदेश का नहीं (सलमानी, मिश्रा एवं सिंह, 2023)। तुलनात्मक विधिशास्त्र से भी यही सीख मिलती है, पीड़ित-अधिकारों को प्रक्रिया का हाशिया नहीं, वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय केंद्र बनाना होगा (नागपाल एवं रावंडेल, 2023), क्योंकि गरिमा का अधिकार क्षतिपूर्ति की औपचारिकता से नहीं, पुनर्स्थापन की वास्तविकता से सिद्ध होता है (त्रिपाठी एवं विंजामुरी, 2022)। अतः प्रस्तावित सुधार-कदमों की अगली पीढ़ी में चार तत्व अनिवार्य दिखते हैं, विक्रय-विनियमन का वार्षिक अनुपालन-अंकेक्षण और उसका सार्वजनिक प्रकटन; एसिड मामलों का समयबद्ध विचारण; मुआवज़ा-राशि का लागत-आधारित पुनरीक्षण और संवितरण की समय-सीमा; तथा थाना-स्तर पर पीड़ित-सहायता का एकीकृत तंत्र, जिसकी संकल्पना क्रियान्वयन-दुर्बलता की पूर्व-चिह्नित बाधा को संबोधित करे (वर्मा, 2019)। अंततः इन सबकी सफलता उसी सामाजिक विश्वास के पुनर्निर्माण पर टिकी है जिसे न्यायपालिका और समाज के अंतर्संबंध का मूल आधार माना गया है (सिंह, 2018)।

7. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु प्रस्तावित कदम, विधायी संशोधन, न्यायिक दिशानिर्देश और मुआवज़ा-ढाँचा संकल्पना के स्तर पर सुदृढ़ किंतु प्रभाव के स्तर पर अधूरे हैं। एसिड हमला पीड़ित न्याय के प्रकरण-अध्ययन से तीनों कसौटियों की स्थिति स्पष्ट हुई: पारदर्शिता अपराध-आँकड़ों तक सीमित है और क्रियान्वयन-आँकड़ों तक नहीं पहुँची; दक्षता की कसौटी पर घटनाओं में सांख्यिकीय रूप से सार्थक गिरावट का अभाव और न्यून दोषसिद्धि दर निवारण-प्रभाव की विफलता दर्शाते हैं; जनसुलभता की कसौटी पर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या-अनुपात से सार्थक रूप से कम पंजीकरण-अंश यह संकेत देता है कि न्याय-यात्रा की सबसे बड़ी बाधा न्यायालय से पहले की दहलीज़ पर है। अतः अनुशंसा है कि सुधार-विमर्श का केंद्र नई विधियों के निर्माण से हटाकर विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुपालन-अंकेक्षण, समयबद्ध विचारण, लागत-आधारित मुआवज़ा-पुनरीक्षण और पंजीकरण-बाधाओं के निवारण पर स्थानांतरित किया जाए। विधि बन चुकी है; अब न्याय को पीड़ित तक चलकर पहुँचना है।

संदर्भ

- [1]. चक्रवर्ती, पी., एवं डे, एस. (2019). एसिड वायलेंस इन इंडिया: ए क्रिटिकल एनालिसिस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट स्टडीज़*.
- [2]. दीप, प्रेरणा. (2017, 28 जनवरी). भारत में एसिड अटैक का अवलोकन. *लॉ ब्लॉग: कानून और समाज पर एक सहकर्मि-समीक्षित ब्लॉग*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=4629253> अथवा <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4629253>
- [3]. गोस्वामी, शिवानी, एवं हांडा, राकेश कुमार. (2020). भारत में एसिड अटैक का खतरा और महिलाओं की संवेदनशीलता. *जर्नल ऑफ विक्टिमोलॉजी एंड विक्टिम जस्टिस*, 3(1). <https://doi.org/10.1177/2516606920927>
- [4]. भारत का संविधान. (1950). संविधान द्वारा सुरक्षित किए गए अधिकार. https://indiacode.nic.in/handle/123456789/1974?view_type=browse&sam_handle=123456789/1362
- [5]. भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, 1860). <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4483/1/A1860-45.pdf>
- [6]. लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया. (2013). एसिड हमलों की एक दशा स्थिति विश्लेषण [(2014) 4 SCC 427; रिट याचिका (आपराधिक) 129/2006]. <http://www.supremecourtcases.com/>
- [7]. नागपाल, एम., एवं रावंडेल, सी. (2023). पीड़ितों के अधिकारों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय कोड से विकासवादी अंतर्दृष्टि के साथ भारतीय कानून के तहत अपराध पीड़ितों की स्थिति की यात्रा का पता लगाना. *कॉजेंट आर्इ एंड ह्यूमैनिटीज़*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2286071>
- [8]. एनसीआरबी. (2022). *क्राइम इन इंडिया 2022*. गृह मंत्रालय, भारत सरकार. <https://www.ncrb.gov.in/>
- [9]. सलमानी, रशीदा, मिश्रा, गीता, एवं सिंह, अश्विनी कुमार. (2023). भारत में एसिड अटैक और हितधारकों की भूमिका: पीड़ित से उत्तरजीवी तक की यात्रा. *खंड 28(2)*. <https://doi.org/10.1177/097226292311916>
- [10]. साहू, ए. (2017). अंडरस्टैंडिंग जेंडर-बेस्ड वायलेंस: अ स्टडी ऑफ एसिड अटैक्स इन इंडिया. *जर्नल ऑफ सोशल जस्टिस*.

- [11]. सिंह, आर. (2018). *भारतीय समाज एवं न्यायपालिका*. नई दिल्ली: विश्वविद्यालय प्रकाशन.
- [12]. त्रिपाठी, शिवम, एवं विंजामुरी, प्रिया. (2022). एसिड अटैक और भारत में महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अपराधों का प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन.
- [13]. वर्मा, सुरेश. (2019). न्याय योजना: एक पहल अपराधियों के खिलाफ. *न्याय सामाजिक पत्रिका*, 15(2), 45–56.

Cite this Article:

Chhama, Vikas Deep Singh Kohli. (2026). भारतीय न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु प्रस्तावित कदमों का विश्लेषण: पारदर्शिता, दक्षता और जनसुलभता के दृष्टिकोण से एक अध्ययन. International Journal of Humanities, Commerce and Education, 2(6), 45–51.

Journal URL: <https://ijhce.com/> *DOI:* <https://doi.org/10.59828/ijhce.v2i6.107>